पारिभाषिक शब्दावली

- **प्रस्तावना (Preamble)**

  सामान्यत: किसी देश के संवैधानिक ढाँचे के दर्शन की अभिव्यक्ति उसके संविधान की प्रस्तावना में होती है। इसमें उन मुख्य उद्देश्यों को स्थापित किया जाता है, जिनको प्राप्त करने का प्रयास विधायिका द्वारा किया जाता है।

- **मूल अधिकार (Fundamental Right)**

  मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं, जो नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इनके बिना व्यक्ति का सर्वाङ्गीण विकास सम्भव नहीं है।

- **मानवाधिकार (Human Right)**

  मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानवाधिकार का अर्थ ऐसे अधिकारों से है, जो स्वतंत्रता, समानता व ससम्मान जीवन की गारंटी एक व्यक्ति को प्रदान करते हैं, ये संविधान में गारंटीकृत हैं या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में उल्लिखित हैं तथा जो भारत के न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।

- **राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)**

  भारतीय संविधान के भाग-4 में (अनुच्छेद 36-51) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व समाहित हैं। इनमें सभी सरकारों (केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन) को निर्दिष्ट किया गया है कि वे राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ओर जाने का प्रयास करेंगे। इनकी प्रकृति निदेशात्मक होती है।

- **मूलाधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (Basic Rights and State Policy Directive Elements)**

  मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्त्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणाओं को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

- **मूल कर्त्तव्य (Fundamental duties)**

  मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 51(क) में समाहित किया गया है। जो 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) में जोड़ा गया है। ये देश की सम्प्रभुता व एकता को बढ़ाने तथा भाईचारे, सौहृदय, सामंजस्य व धार्मिक सहिष्णुता को नागरिकों में बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- **दोहरा जोखिम दोहरा दंड (Double Jeoparty)**

  इस शब्द का प्रयोग अमरीकी कानून में किया गया है। भारतीय संविधान में इसका प्रयोग नहीं है, परन्तु अनुच्छेद 20(2) में इसी सिद्धान्त को दिया गया है। जो कहता है, कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।

- **निवारक निरोध (Preventive detention)**

  निवारक निरोध का अर्थ है, किसी व्यक्ति को गैर-कानून कार्य करने से रोकना, ऐसे कार्यों हेतू निवारक निरोध की प्रक्रिया दी गयी है तथा रक्षोपायों को भी दिया गया है।

- **दण्डस्वरूप निरोध (Punitive detention)**

  दण्डस्वरूप निरोध में किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के लिए दण्डित किया जाता है।

- **संकल्प (Resolution)**

  ये मूल प्रस्ताव होते हैं, जो स्वयं पूर्ण होते हैं। इसमें एक समग्र विचार होता है, संकल्प में साधारणतया कोई विचार या मत या राय प्रकट की जाती है और वह अनुवय के रूप में होता है, आदेश के रूप में नहीं।

- **वयस्क मताधिकार (Adult Franchise)**

  हर प्रजातन्त्र राज्य में वयस्कों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है वे बिना किसी जाति, धर्म, रंग, लिंग के भेदभाव के इस अधिकार का उपयोग कर सकते है। इसमें भिन्न-भिन्न देश में वयस्क आयु भिन्न होती हैं संयुक्त राज्य अमरीका व सोवियत संघ ने वयस्क आयु भिन्न होती है संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ में वयस्क आयु 18 वर्ष है, जबकि आयु भारत में 21 वर्ष थी, लेकिन भारत में 61वाँ संशोधन करके मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी।

- **विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)**

संसद की प्रक्रिया के नियमों में विश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई उपबंध नहीं है। यह गठबंधन की राजनीति के कारण अस्तित्त्व में आया है। विश्वास प्रस्ताव सत्ताधारी दल लाता है, ताकि वह दिखा सके कि उसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

- **अराजकतावाद (Anarchism)**

एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जिसके समर्थक राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अराजकतावादी विचारधारा भी दो प्रकार की है। एक वर्ग के विचारक उद्देश्य पूर्ति के लिए हिस्सा को मान्यता देते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के लोग हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं।

- **प्रश्न काल (Question Hour)**

दोनों सदनों में बैठक के प्रारम्भ के एक घंटे तक प्रश्न किये जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं। प्रश्न काल कहलाता है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत में 11 am से 12 Noon तक का समय ही प्रश्नकाल है।

- **अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Question)**

अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है, जो अविलम्बनीय लोक महत्व का हो और जिसको साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित दस दिन की अवधि से कम में सूचना देकर पूछा जा सकता है।

- **स्थगन प्रस्ताव (Adjourn Motion)**

यह प्रस्ताव जब सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तब सदन द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है।

- **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Attention Motion)**

सार्वजनिक महत्व के किसी आवश्यक मामलें पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण से प्रस्तुत मुद्दे पर सदस्य द्वारा वक्तव्य देने का आग्रह किया जाता है, जिस पर तुरन्त वक्तव्य दे सकते हैं अथवा इसके लिए समय मांग सकते हैं।

- **विशेषाधिकार प्रस्ताव (Special Proposal)**

यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।

- **प्रस्ताव (Proposal)**

यह किसी विषय पर सदन का फैसला जानने के लिए या उसकी राय व्यक्त करने के लिए सदन के समक्ष लाया गया एक प्रपत्र होता है। यह वास्तव में संसदीय कार्यवाहियों का आधार होता है।

- **अवकाश (Recess)**

संसद के सत्रावसान और संसद के दुबारा नये सत्र में बुलाये जाने के मध्य के काल को अवकाश कहते हैं।

- **सत्रावसान (Tragedy)**

राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा संसद के अधिवेशन के समापन को सत्रावसान कहते हैं। राज्यपाल द्वारा विधानमण्डल के अधिवेशन को समाप्त करना भी सत्रावसान है। अगले सत्र को राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा ही बुलाते हैं।

- **लोकसभा का विघटन (Dissolution of the Lok Sabha)**

अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोक सभा का विघटन कर सकता है। संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पश्चात् नया निर्वाचन होता है और नई लोकसभा बनती है।

- **विशेषाधिकार (Privileged/Special Rights)**

ये वे अधिकार हैं, जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से प्रदत्त हैं तथा कुछ मात्रा में सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं। इनके बिना किसी सदन के कार्य करने की स्वतन्त्रता को बनाये रखना असम्भव है।

- **धन विधेयक (Money Bill)**

संविधान के अनुच्छेद 110 में दिये गये 6 विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। कोई विधेयक उपर्युक्त प्रकार का है या नहीं इसका निर्णय लोक सभा अध्यक्ष करते हैं।

- **वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)**

अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण परिभाषित है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। राज्य सभा का व्यवहार इसके प्रति साधारण विधेयक के समान नहीं होता है।

- **राष्ट्रपति का अभिभाषण (Presidential Address)**

संविधान के अनुच्छेद 87 के अन्तर्गत नये सदस्यों के शपथ ग्रहण करने व अध्यक्ष के चुने जाने के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित करते हैं। वे वर्ष के प्रथम सत्र पर भी ऐसा करते हैं।

- **अध्यादेश (Ordinance)**

संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है, कि जब दोनों सदन सत्र में न हों और उसे यह समाधान हो जाता है, कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह अध्यादेश जारी करेगा। यह सामान्य अधिनियम के समान ही प्रभावी होगा।

- **बजट (Budget)**

संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत, प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण रखवाएगा, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है।

- **तत्त्व एवं सार का सिद्धान्त (Doctrine of Pith and Substance)**

केन्द्रीय एवं राज्य विधान मण्डलों द्वारा एक-दूसरे की विधायी शक्ति के अतिक्रमण की दशा में, उच्चतम न्यायालय तत्त्व एवं सार सिद्धान्त

को लागू कर विधान की वास्तविक प्रकृति व स्वरूप का अध्ययन एवं उसके उद्देश्य एवं विस्तार का पता लगाता है तथा उसकी वैधानिकता पर निर्णय देता है।

- **छद्म विधायन का सिद्धान्त (Doctrine of Colourable Legislation)**

कभी-कभी व्यवस्थापिका में निर्मित कानून बाह्य रूप से उसकी अपनी शक्तियों की सीमा में होते हुए भी सार क्रम में संविधान या दूसरी व्यवस्थापिका की शक्तियों पर अतिक्रमण करता है। इन मामलों में विधि का सार महत्वपूर्ण होता है। बाह्य आकृति पर नहीं। यही छद्म विधायन कहलाता है, जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता।

- **मंत्रिमंडल सचिव (Cabinet Secretary)**

वह लोक सेवाओं में देश का वरिष्ठ लोक सेवक होता है और मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख के रूप में वह मंत्रिमंडल और सामान्य प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

- **सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)**

अनुच्छेद 75(3) के तहत् मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी (विशेषत: लोकसभा के प्रति) होते हैं। जब एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। तब संपूर्ण मंत्रिपरिषद (एकमंत्री भी) को इसी के तहत इस्तीफा देना पड़ता है।

- **व्यक्तिगत-उत्तरदायित्व (Personal Responsibility)**

कोई भी मंत्री स्वतन्त्र रूप से अपने कार्यों/दायित्वों हेतु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि वह राष्ट्रपति की कृपा पर ही अपने पद पर आरूढ़ हुआ है क्योंकि इन्होंने ही उन्हें नियुक्ति व शपथ दिलाई है।

- **आह्वान (Call on)**

भारत के राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन की बैठकों का आयोजन करने हेतु आह्नान करते हैं। यद्यपि दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक की रिक्तिता नहीं हो सकती है।

- **केबीनेट (Cabinet)**

मंत्रिपरिषद के आंतरिक चक्र में शामिल केन्द्रीय मंत्री पद पर आसीन एवं प्रधानमंत्री सहित 'समूह' केबीनेट कहलाता है। जो शासकीय नीतियों के निर्माण पर विचार-विमर्श कर विधायिका में प्रस्तुत करता है।

- **लाइन-आइटम वीटो (Line Item Veto)**

राष्ट्र के मुखिया को स्वतंत्र रूप में यह शक्ति विधायिका द्वारा किसी विधेयक को संपूर्ण रूप में अपने पास सुरक्षित रखने से है।

- **तदर्थ समिति (Adhoc Committee)**

यह वह समिति है जो समय-समय पर किसी भी सदन में सभापति/लोकसभाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव हेतु बनाई जाती है। यह समिति किसी विशेष विषय पर अपनी रिपोर्ट देती है।

- **संसदीय सलाहकार समिति (Parliamentary Advisory Committee)**

विधायिका की समय-सारणी को निर्धारित करने तथा अन्य संसदीय व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु इस तरह की समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में राज्यसभा के 11 लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं अर्थात् कुल 26 सदस्य शामिल किए जाते हैं।

- **विशेषाधिकारों का उल्लंघन (Breach of Priviledge)**

इसकी चर्चा अनुच्छेद 105 में की गयी है। जब किसी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा संसद के किसी भी सदन के सदस्य के किसी भी विशेषाधिकार या उन्मुक्ति का निरादर करता है। तब इस प्रकार का कृत्य विशेषाधिकारों का उल्लंघन कहलाता है।

- **व्यवस्था का प्रश्न (Point of order)**

यह एक असाधारण प्रक्रिया है, जिसके उठाये जाने पर सदन की कार्यवाही निलम्बित हो जाती है, और उस समय बोल रहे सदस्य को अपना भाषण बन्द करना पड़ता है। इसका उद्देश्य सदन के कार्यों को विनियमित करने के लिए नियमों व निर्देशों में अध्यक्ष की सहायता करना है।

- **नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition)**

उस दल के नेता को विपक्षी नेता के रूप में संसद में मान्यता दी जाती है, जिसकी सदस्य संख्या कम से कम सदन की सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत होती है तथा उसे केबिनेट स्तर के मंत्री की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

- **गणपूर्ति (Quorum)**

किसी सदन की कार्यवाही को वैध रूप से चलाने के लिए जितने न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है उसे गणपूर्ति कहते हैं। यह संख्या स्पीकर (अध्यक्ष) सहित सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग होती है।

- **मितव्ययता (Economy)**

यह एक प्रकार का कटौती प्रस्ताव है, जिसमें मांगी गयी राशि को कुछ अंशो तक घटाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यय में मितव्ययता लाना होता है।

- **सांकेतिक कटौती (Token Cut)**

इस कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य किसी ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करना होता है, जो सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो।

- **सचेतक (Whip)**

यह किसी राजनीतिक दल द्वारा सदस्यों में अनुशासन बनाये रखने के लिए दिये गये निर्देश होते हैं, ताकि किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सदस्यों का व्यवहार दल के अनुसार हो। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वालों के विरुद्ध दल-बदल निरोध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

- **स्नेप वोट (Snap Vote)**

जब राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा संसद या विधानमण्डल को अचानक भंग कर दिया जाता है और थोड़े समय के नोटिस पर चुनाव करा दिए जाते हैं, तो ऐसे चुनाव को स्नेप वोट कहते हैं।

- **त्रिशंकु लोकसभा (Hung Parliament)**

  आम चुनाव के बाद, यदि ऐसी संसद अस्तित्त्व में आती है, जिसमें किसी दल या दलों के किसी संगठन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो उसे त्रिशंकु या लंबित संसद कहते हैं।

- **प्रो-टेम स्पीकर (Pro-tem Speaker)**

  आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का गठन होता है, तब राष्ट्रपति एक प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, जो सामान्यत: वरिष्ठतम सदस्य होता है। उसने कितना समय लोकसभा के सदस्य के रूप में गुजारा है, इस पर निर्भर करता है तथा वह सदन के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है।

- **नियम 377 (Rule 377)**

  ऐसे विषय क्षेत्र के प्रश्न जो अल्पसूचना प्रश्नों व ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से नहीं पूछे जा सकते हैं, उन्हें लोकसभा में नियम 377 के तहत् उठाया जा सकता है।

- **जेबी वीटो (Pocket Veto)**

  अमेरिकी व्यवस्था में राष्ट्रपति किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। वह संसद द्वारा विधेयक को न अनुमति देता है, और न ही पुनर्विचार के लिए वापस करता है। यही व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति के लिए भी है। यह तरीका जेबी वीटो कहलाता है।

- **भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Veto Power of President)**

  राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, परन्तु भारत का राष्ट्रपति आत्यांतिक, विलम्बनकारी तथा जेबी वीटो के मिले-जुले रूप का प्रयोग करता है, जो अनुच्छेद 74, 200 और 201 में वर्णित है।

- **मंत्रिपरिषद**

  यह विभिन्न स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनती है। प्रधान मंत्री इसका प्रमुख होता है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहयोग देती है।

- **सत्र (Session)**

  संसद की पहली बैठक से लेकर सत्रावसान या विघटन तक के समय को सत्र कहा जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार सत्र की अन्तिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के मध्य छ: माह से अधिक का समयांतर नहीं होना चाहिए।

- **वीटो (Veto)**

  वीटो ऐसा अधिकार है, जो किसी संस्था के द्वारा उसके कुछ सदस्यों को दिया जाता है। इस अधिकार का प्रयोग कर सदस्य बहुमत से हुए निर्णय को रोक देता है।

- **आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto)**

  इसका अर्थ है, किसी पारित विधेयक को अनुमति न देना। यह शक्ति इंग्लैंड के राजतन्त्र के पास होती थी, जिसमें संसद के अधिनियमों को अनुमति न देना शामिल था। भारत के राष्ट्रपति को भी यही शक्ति प्राप्त है।

- **विशेषित वीटो (Qualified Veto)**

  यह वीटो की ऐसी शक्ति है जिसका विधान मंडल द्वारा अध्यारोहण हो सकता है। यह विशेष बहुमत से विधेयक पारित होने पर लागू हो जाता है। यह स्थिति अमेरिका की है। भारत में विशेषित वीटो नहीं है।

- **निलम्बनकारी वीटो (Suspensive Veto)**

  जब किसी विधेयक को कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकना होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है यदि साधारण बहुमत से दुबारा अधिनियम पारित हो जाने पर करने पर समाप्त हो जाता है।

- **विशेषाधिकार रिटें (Prerogative writs)**

  इस अधिकारिता को असाधारण अधिकारिता कहा जाता है। ये कानूनी उपायों के अपर्याप्त होने पर जारी की जाती है।

- **बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Haleas Corpus)**

  इसका शाब्दिक अर्थ है 'शरीर लेकर आओ'। इस रिट के द्वारा न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जिसे निरूद्ध किया गया है, न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित करा सकता है। ऐसा होने पर न्यायालय द्वारा व्यक्ति के विरूद्ध किये जाने के कारणों की समीक्षा की जाती है। यदि निरोध का कोई विधिक औचित्य नहीं है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है।

- **परमादेश (Mandamus)**

  इसका शाब्दिक अर्थ है फ्आदेश देनाय्। इसमें किसी व्यक्ति निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे प्राधिकारी के विरूद्ध किया जाता है, जिसने सार्वजनिक कर्त्तव्य करने से इंकार कर दिया हो व जिसे अन्य द्वारा सम्पादित नहीं किया जा सकता हो।

- **प्रतिषेध (Prohibition)**

  यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है, जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्ठा न करे जो उसमें निहित न हो। यह अवर न्यायालय को अपनी सीमा में रहने को बाध्य करती है।

- **उत्प्रेषण (Certiorari)**

  उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों को यह रिट जारी की जाती है। ऊपरी न्यायालय के किसी निचले न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर रद्द कर देती है कि निर्णय ऐसे मामले में दिया गया है जो निचले न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है।

- **अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)**

  इसका शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार से' न्यायालय द्वारा इस रिट द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के किसी लोक पद या विशेषाधिकार के दावे की वैधता की परीक्षा करता है। यदि वह अपना विधिक अधिकार नहीं दिखा पाता है, तो न्यायालय उसे हटा सकता है।

- **निषेधाज्ञा (Injunction)**

यह न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने अथवा करने से दूर रहने के लिए जारी की जाती है। यह दो तरह की होती है। आदेशात्मक व निरोधक जिसमें पहली परमादेश रिट की तरह लगती है। परन्तु ऐसा नहीं है इनमें अंतर यह है, कि परमादेश किसी गैर सरकारी व्यक्ति हेतु जारी नहीं होता, जबकि निषेधात्मक मुख्य रूप से गैर सरकारी कानूनी प्रक्रिया है। अर्थात् परमादेश जहाँ कानूनी उपचार हैं वहाँ यह 'समदृष्टि की प्रभावशाली भुजा है।'

- **संविधान (Consitution)**

यह जनता के विश्वास और आकांक्षाओं का एक दस्तावेज है, जो शुद्ध रूप से कानूनी होता है। यह जनता और सरकार के मध्य सुनिचित सम्बन्धों को स्थापित करता है।

- **नागरिक (Citizen)**

नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो किसी राज्य या समुदाय का पूर्णत: सदस्य होता है तथा राज्य या समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है।

- **लेखानुदान (Vote on Account)**

विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई राशि निकाली जा सकती है। परन्तु सरकार को इस विधेयक के पारित होने से पहले भी रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लोकसभा अनुच्छेद 116 के अन्तर्गत लेखानुदान पारित कर सरकार को अन्तिम राशि मंजूर करने की शक्ति दे देती है।

- **विधि का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)**

इसका तात्पर्य यह है, कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा और उन पर कोई विधि लागू होगी, पर विधायिका युक्ति-युक्त वर्गीकरण के आधार पर एक समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में विभेद कर सकती है।

- **विधि के समक्ष समता (Equality before Law)**

विधि के समक्ष समता विधि सम्मत शासन का अनिवार्य अंग है, ताकि स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो सके। इस का अर्थ है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति, ऊँच-नीच के भेदभाव के बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के अन्तर्गत है।

- **आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)**

संविधान के प्रवर्तन के पूर्व भारत में प्रवृत्त विधियाँ, जो मूलाधिकारों से असंगत हैं या उनके विरुद्ध हैं, समाप्त नहीं होतीं बल्कि निष्क्रिय हो जाती हैं और ऐसी विधियाँ मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं।

- **प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal)**

2वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग-14 (क) जोड़ा गया है। जिसके अन्तर्गत संसद को यह शक्ति दी गयी है, कि वह संघ अथवा किसी राज्य के नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से सम्बन्धित सभी मामलों के निपटारे के लिए इनका गठन कर सकती है।

- **मूलभूत ढाँचा (Default Layout)**

संविधान की सर्वोच्चता को बनाये रखने के लिए व राज्य के तीनों अंगो के मध्य सन्तुलन को बनाये रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 'मूल ढाँचे' की अवधारणा को अपनाया है, जो केशवानन्द भारती के वाद से अस्तित्व में आया।

- **रिफ्रेंडम (Referendum)**

जब किसी वाद-विवाद के विषय पर आम जनता की राय जानने के लिए जनमत ज्ञात किया जाता है, तो उसे रिफ्रेंडम कहा जाता है।

- **सदस्यों की पहल (Initiative of Members)**

यह निर्वाचकगण को शक्ति प्रदान करता है, कि किसी कानून को अपनी इच्छानुसार पारित करें यदि एक निश्चित संख्या वाले मतदाता कोई कानून चाहते हैं, तो विधायिका उससे इंकार नहीं कर सकती है।

- **राष्ट्रीय सरकार (National Government)**

यह सर्वसम्मति की सरकार है, जिसमें लगभग सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता रहती है। इसमें विरोधी दल का अस्तित्त्व नहीं होता है।

- **अन्तरिम सरकार (Interim Government)**

ऐसी सरकार किसी देश की स्थापना के संक्रमण काल में बनायी जाती है। इसको सरकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है तथा देश हित में यह राजनीतिक निर्णय भी ले सकती है।

- **अल्पमत सरकार (Minority government)**

लोक सभा या विधानसभा में जिस सरकार का बहुमत नहीं रहता है तथा कुछ अन्य दल सरकार को बाहर से समर्थन करते हैं, वह सरकार अल्पमत सरकार कहलाती है।

- **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportion, Representative System)**

इस पद्धति में प्राप्त मतों के अनुपात में किसी राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में स्थान प्रदान किये जाते है। यह एक प्रकार की निर्वाचन पद्धति है।

- **दबाव समूह (Pressure Group)**

व्यक्तियों का ऐसा हित समूह जिसमें व्यक्तियों के हित समान होते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। ये समूह अपने हित के लिए शासन-तंत्र पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हैं, ताकि नीतियों को अपने पक्ष में किया जा सके।

- **लोकपाल (Lokpal)**

भारतीय लोकपाल की अवधारणा स्वीडन के 'ओम्बुडसमेन' पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों तथा जनप्रतिनिधि

के कुप्रशासन तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनता की शिकायत सुनने तथा उस पर जांच कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करना है।

- **सम्यक विधि प्रक्रिया (Proper procedure)**

इसके अन्तर्गत न्यायालय कानून का परीक्षण केवल उसके मूर्तरूप के आधार पर ही नहीं करता है, बल्कि इसमें नैसर्गिक न्याय को भी शामिल किया जाता है तथा विधि के उद्देश्य व इरादों का भी परीक्षण किया जाता है।

- **तत्त्व एवं सार का सिद्धांत (Doctrine of Pits Substance)**

केन्द्रीय एवं राज्य-विधान मण्डलों द्वारा एक-दूसरे की विधायी शक्ति के अतिक्रमण की दशा में उच्चतम न्यायालय तत्त्व एवं सार सिद्धांत को लागू कर विधान की वास्तविक प्रकृति व स्वरूप का अध्ययन एवं उसके उद्देश्य एवं विस्तार का पता लगाने में करते हैं।

- **प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legis Lation)**

विधायन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधीनस्थ संस्था नियम-कानूनों को बनाती है तथा उसकी सीमाएँ उच्चतर संस्था द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ उच्चतर संस्था अपनी विधायी शक्ति को प्रत्यायोजित कर देती है।

- **लोक अदालत (Public Court)**

वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में न्याय में विलम्ब अधिक खर्च और अनिश्चिता जैसी कमियाँ हैं, जो संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय को दिलाने में बाधक हैं। लोक अदालत का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था की रचना करता है, जिससे शीघ्र न्याय मिल सके। इसमें न्याय का आधार आपसी-सुलह व समझौता है।

- **लोकहितवाद (Public Interest Litigation)**

न्यायपालिका द्वारा दलित, निर्धन, निरक्षर व अक्षम लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से, न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। न्यायालय को किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा मात्रा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर या वस्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है।

- **न्यायिक सक्रियता (Judicial Actirism)**

राज्य और उसके अंगों को जनता के प्रति उनके कर्त्तव्यों का पालन कराने में न्यायपालिका द्वारा सक्रिय और सकारात्मक भूमिका को निभाने को ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं।

- **न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Reviers)**

जब संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तब उच्चतम न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यही न्यायिक पुनरावलोकन है।

- **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)**

इसमें न्यायालय राज्य द्वारा बनाई गयी विधि का परीक्षण उस के मूर्त रूप को महत्व देकर करता है। नैसर्गिक न्याय के अधिकार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। यहाँ न्यायालय केवल यह देखता है कि कानून, 'स्थापित प्रक्रिया' अनुसार हैं या नहीं।

- **कार्यकारी सरकार (Executive government)**

इस तरह की सरकार तब निर्मित की जाती है जब निम्न स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ—

  - प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर,
  - मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा दे दे।
  - यह तब तक कार्य करती है, जब तक कि अगला प्रमुख नहीं चुना जाता। संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत् यह एक संवैधानिक आवश्यकता है।

- **असम्मिलित सदस्य (Excluded members)**

ये वे सदस्य हैं, जिनको दल ने निलंबित कर दिया है और इसका निर्णय कार्यवाही प्रक्रिया अधिकारी द्वारा आने तक यह सदस्य बिना विभाग के मंत्री के रूप में सरकार में शामिल रहता है या हो सकता है।

- **संसद की असीमित शक्ति (Unlimited power of parliament)**

इसका तात्पर्य संसद की अयोग्य और अनियंत्रित शक्ति से है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार संसद को इस तरह की शक्ति पृदत्त है किन्तु इसे आधारभूत ढांचे के अनुरूप उच्चतम न्यायालय ने घोषित कर दिया हो।

- **संसद की अवमानना (Contempt of parliament)**

किसी भी संसद सदस्य द्वारा सदन के संसद के क्रियाकलापों में विहन डालना तथा किसी विधि/नियम का लोप करना ही संसद की अवमानना कहलाता है।

- **गतिरोध/गत्यवरोध (Dead Lock)**

यदि किसी विधेयक के बारे में सदन पूर्ण असहमत हो जहाँ विधायिका बराबरी पर आ जाए यही स्थिति संसद के सदनों के बीच डेड लॉक कहलाती है।

- **विशेष सत्र (Special Session)**

मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय इस तरह के सत्रा को प्रारंभ करते हैं, यह सत्रा किसी विशेष व्यवहार हेतु जारी सत्रा में या सामान्य सत्रा के बाद भी बुलाया जा सकता है।

- **द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका**

इसका तात्पर्य है व्यवस्थापिक दोनों सदनों (उच्च-निम्न) से मिलकर बनी है। निम्न सदन 'लोकप्रिय सदन' के नाम से जाना जाता है तथा इसके सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं।

- **निर्णायक मत (Conclusive vote)**

किसी विषय पर पक्ष व विपक्ष के बीच बराबर मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है और वही मत निर्णायक मत कहलाता है।

- **अराजकता (Anarchy)**

अराजकता का सामान्य भाषा में अर्थ है–अव्यवस्था अथवा अस्त–व्यस्तता का होना, जिस देश में कोई सरकार नहीं होती या कानून का शासन नहीं होता, वहाँ अराजकता की स्थिति होती है। बहुत से लोग इस प्रकार के स्वतन्त्र शासन को पंसद करते हैं और कोई प्रतिबन्ध नहीं मानते।

- **तारांकित प्रश्न (Starred Question)**

तारांकित प्रश्नों में हमेशा मौखिक एवं अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों पर तारांकित कर अन्य प्रश्नों से इसे अलग किया जाता है। एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न हो सकते हैं।

- **अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question)**

इस प्रश्न में उत्तर लिखित होता है एवं अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न इस तरह के भी हो सकते हैं अर्थात् इन प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता।

- **संयुक्त बैठक (Joint Session)**

किसी विधेयक के बारे में मतैक्य होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जब दूसरे सदन ने किसी विधेयक को अस्वीकृत किया है या सदन की सहमति नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य सदन विधेयक को 6 माह के भीतर पारित नहीं करवा पाता है।

- **वफर स्टेट (Buffer State)**

दो राष्ट्रों (देशों) के बीच एक छोटा ऐसा तटस्थ राष्ट्र जो उन राष्ट्रों को युद्ध करने से रोकता है। अर्थात् अपनी ही राज्य सीमा पर एक अन्य राष्ट्र की स्थापना करना ताकि अन्य राष्ट्र उस पर आक्रमण न कर सके।

- **उपचुनाव (Sub Election)**

उपचुनाव एक प्रकार का मध्यावधि चुनाव है, जो मृत्यु, त्यागपत्र, अथवा अयोग्यता के कारण रिक्त हुए किसी स्थान के निमित्त होने वाले चुनाव का ही नाम है।

- **अविश्वास प्रस्ताव (Non-Confidence Motion)**

यह प्रस्ताव सिर्फ लोक सभा में प्रस्तुत होता है। विरोधी दल द्वारा लाया जाने वाला यह प्रस्ताव यदि सभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने हेतु बाध्य होती है।

- **विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)**

भारत में संसदीय प्रक्रिया की नियमावली इस तरह के प्रस्ताव की सुविधा नहीं प्रदान करती है। जोड़तोड़ (गठबन्धन) की राजनीति के उत्पन्न होने से यह प्रथा शुरू हुई है। सरकार स्वयं के बचाव के लिए अविश्वास प्रस्ताव आने पर इसे प्रस्तुत करती है।

- **कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)**

यह प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। बजटीय अनुदान में से राशि की कटौती हेतु यह प्रस्ताव सदन में उठाया जाता है। कटौती प्रस्ताव तीन तरह के हो सकते हैं—

- नीतिगत कटौती
- मितव्ययता कटौती
- प्रतीकात्मक कटौती

- **नीति संबंधी कटौती (Policy Cut)**

इस कटौती प्रस्ताव के अनुसार मांग की धनराशि से एक रुपया घटाने का प्रस्ताव होता है। इसमें प्रस्तावक नीति मुद्दों की समीक्षात्मक आलोचना करता है। उद्देश्य: सरकार की नीतियों की आलोचना करना।

- **लौह-आवरण (Iron-Curtain)**

चर्चिल द्वारा प्रयुक्त यह शब्द साम्यवादी देशों हेतु दिया गया है, जिसका अर्थ है, कि कोई देश अपने विषय में अन्य देश को कोई भी सूचना/जानकारी नहीं देता है अर्थात् सूचनाएँ आयरन करटेन की तरह गुप्त रखीं जाती हैं।

- **अनुसूची (Schedule)**

अनुसूची एक तरह के पूरक पत्र हैं जिसमें कोई विस्तृत जानकारी जोड़ी जाती है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। यह संविधान का ही भाग है, जिसमें संशोधन किया जा सकता है।

- **फ्लोर क्रॉस करना (दल बदलाव/डिफेक्शन)**

फ्लोर क्रॉस करने से तात्पर्य है, दल बदलना। जब एक राजनीतिक दल का सदस्य, संसद में अपना दल त्याग कर अन्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता ह तब इसे दल बदलाव (डिफेक्सन) कहते हैं।

- **गेरीमैन्ड्रिंग (Gerrymandering)**

अनैतिक राजनीतिक कोशिश जिसका अर्थ अपने निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन करना होता है, जिससे शासक दल के अधिकतम समर्थक एक ही निर्वाचन क्षेत्र की परिधि में आ सकें और उस दल की विजय की संभावना बढ़ जाए। गेरीमैन्डर नामक राज्यपाल (अमेरिका के एक प्रांतीय गवर्नर) के नाम से यह प्रचलित हुई।

- **विशेष बहुमत (Special Majority)**

कुल सदस्यों व प्रत्येक सदन में उपस्थित व मतदाताओं में से कम से कम दो-तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा प्राप्त बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है।

- **विशेष संदर्भित प्रश्न (Special reference questions)**

जब ऐसा कोई विषय जिसे प्रश्नों के नियमानुसार नहीं पूछा जा सकता है। जिससे वह अल्प सूचना आदि की श्रेणी में आ पाए तब राज्य सभा में ऐसे प्रश्न विशेष संदर्भित प्रश्न कहलाते हैं।

- **लेम-डक सेशन (Lame duck Motion)**

नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो लेकिन पुरानी व्यवस्थापिका अपना अन्तिम सत्र चला रही हो अर्थात् ऐसी व्यवस्थापिका के वे सदस्य जो नई व्यवस्थापिका में पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकें हों।

- **लोक समाज (Civil Society)**

सामाजिक संगठनों और संस्थाओं से मिलकर लोक समाज बनता है और यही राज्य व व्यापारिक संस्थाओं की संरचनाओं पर उनके व्यवहार पर एक दबाव के रूप में कार्य करता है।

- **भारित व्यय (Indian Expenditure)**
ऐसे व्यय जिन्हें सरकार की अनुमति के बगैर संचित निधि पर भारित समझा जाता है। कार्यपालिका को संविधान ने स्वयं के व्ययों हेतु यह सुविधा प्रदान की है। अनु. 112 (3) में दिए गए व्यय भारित व्यय में रखे गये हैं।

- **अग्रिम अनुदान (Advance Grant)**
युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों में बिना व्यय अनुदान तैयार किए ही यह स्वीकृत कर दिया जाता है तथा यह सरकार को अग्रिम ही प्राप्त हो जाता है।

- **अनुपूरक अनुदान (अनुच्छेद 115) (Supplementary Grant)**
जब विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष में व्यय किए जाने हेतु प्राधिकृत धनराशि अपर्याप्त मानी जाती है अथवा बजट में किसी सेवा पर व्यय की आवश्यकता दिखती है। तब राष्ट्रपति की ओर से सदन में इस तरह की अनुदान मांग प्रस्तुत होती है।

- **आक्रमण (Attack)**
जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है। उसकी सीमा भंग करता है उसके नागरिकों को विद्रोह के लिए उकसाता है, तो उसका यह कार्य आक्रमण या एग्रेशन कहलाता है।

- **विनियोग विधेयक (Appropriate Bill)**
अनुच्छेद 114 के तहत् लोक सभा में अनुदानों और भारत की संचित निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु जो विधेयक रखा जाता है, वह विनियोग विधेयक कहलाता है।

- **गिलोटीन (गुलोटीन) (Gullotine)**
किसी विषय पर निर्धारित समय समाप्ति पर वाद.विवाद को एक साथ समाप्त कर दिया जाता है तथा मंत्रालयों की मांगों को बिना बहस के पारित कर दिया जाता है। इस क्रियापद्धति को गुलोटीन कहा जाता है। (गुलोटीन का आशय सिर काटने के एक यंत्र से है।)

- **अतिरिक्त अथवा अधिक अनुदान (अनुच्छेद 115) (Excess/ Additional grant)**
जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर उस वर्ष व उस सेवा हेतु अनुदान दी गई राशि से कोई धन अधिक व्यय हो गया हो तब राष्ट्रपति लोकसभा में अधिक अनुदान की मांग रखते हैं।

- **साख मत (Vote of Credit)**
लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाने वाला वह व्यय जो सेवा के लिए विस्तार या उसकी अनिश्चित प्रकृति के चलते मांग के उन विवरणों को नहीं बताया जा सकता हो। (अर्थात् यह एक कोरे चेक के जैसा है साख मत कहलाता है।)

- **सांकेतिक अनुदान (Token Grant)**
यह तब दिया जाता है, जब किसी नई सेवा हेतु प्रस्तावित व्यय की पूर्ति हेतु धन की व्यवस्था पुनर्वियोग द्वारा की जा सकती है। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय (खर्च) शामिल नहीं होता है।

- **आपवादिक अनुदान (Exceptional Grant)**
यह सदन द्वारा विशेष उद्देश्यों और किसी संदर्भित विषय हेतु दिया जाने वाला अनुदान है। यह किसी वित्त वर्ष की चालू सेवा का अंश नहीं होता है।

- **भारत की संचित/समेकित निधि (अनुच्छेद 266) (Consolidated Fund of India)**
यह एक संचित कोष है जिसमें सभी साख, पावतियाँ और वेतन आदि होते हैं। इससे कोई भी धनराशि बिना विधि द्वारा विनियोजन के नहीं निकाली जा सकती है।

- **आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) (Contingency Fund)**
यह एक वैधानिक निधि है, जिसमें आकस्मिक (अनदेखे) व्यय करने होते हैं। अर्थात् संसद द्वारा प्राधिकृत करने से पूर्व अनदेखे खर्चे की पूर्ति हेतु इसमें पेशगी दे सकते हैं। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। (1950 में स्थापित तदनरूप विधेयक द्वारा)

- **भारतीय सार्वजनिक लेखा (अनुच्छेद 266) (Public Accounts of India)**
भारत सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त तमाम अन्य सार्वजनिक (लोक) राशियाँ जो समेकित निधि में जमा होती हैं। इसी लेखे में जमा की जायेंगी।

- **न्याय का वितरण (Distribution of justice)**
इसका तात्पर्य है, कि राज्य सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व रखता हो और नियन्त्राण इस प्रकार बंटा हो जिससे हित का सर्वोत्तम रूप से साधन बन सके हो और आर्थिक व्यवस्था इस तरह चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेन्द्रण न हो।

- **निजी कानून (Private Law)**
समुदाय के सांस्कृतिक, धार्मिक नियम जो व्यक्ति के विकास में प्रस्तुत होते हैं। इनसे विवाह, तलाक, दत्तकता, विरासतता, वंशानुगतता एवं इसी तरह के सामुदायिक विषय आदि लागू होते हैं।

- **मृत्यु आदेश (Death Sentence)**
उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किसी विधि प्रश्न पर अपना मत न्यायालय में आने के पूर्व से देखकर/सुनकर दिया हो जिसमें अब सुनवाई की कोई गुंजाइश न हो ऐसा आदेश मृत्यु दंड हेतु होता है।

- **लावारिस सामग्री/वस्तु (Unclaimed material)**
किसी जायदाद का जब कोई भी स्वामित्व / स्वामी न हो इस तरह की जायदाद स्वत: राज्य की जायदाद हो जाती है। इसे ही लावारिस वस्तु (Bone Vacantia) कहा जाता है।

- **सामाजिक क्रिया विवाद/मुकदमेबाज़ी (Social Action Disputes/Sue)**
किसी विशेषाधिकार के क्रियान्वयन में वर्ग का प्रत्यक्ष रूप से कमजोर होना न्यायालय में इस हेतु उसको संरक्षण तथा विवाद का निपटारा करना।

- **खंडन (Repeal)**
  विधायिका द्वारा बनाया गया, यह वार्षिक अथवा समुच्चय नियम है, जो अन्य विधायिका / सदन द्वारा भी बनाया गया हो, खंडन कहलाता है। जब यह खंडित विधि लागू होती है तब पूर्व की विधि लागू नहीं होगी। तथा इसकी कोई भी वैधता स्वीकार योग्य नहीं होती है।

- **विरोध / प्रतिकूलता (Antagonism)**
  किन्हीं दो या अधिक प्रावधानों / नियमों में अपूर्णता के कारण किसी लिखित प्रलेख में समानता होना ही प्रतिकूलता (Repugahancy) कहलाता है।

- **अभिलेख न्यायालय (Court of Record)**
  अभिलेखीय न्यायालय वह है, जिसके अभिलेखों का उपयोग साक्ष्य के रूप में हो सकता है। किन्ही भी न्यायालयी प्रश्नों पर इसकी सत्यता / प्रमाणिकता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है। (नम्बूदरीपाद विरुद्ध नाम्बियार के वादानुसार / मामलानुसार)

- **बेगार (Forced labor)**
  संविधान में अनुच्छेद 23(1) के तहत् बेगार का अर्थ —मजदूरी या सेवा है, जो किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा प्रदत्त हो। इसमें किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। (अब बेगारी शब्द की जगह बलात्-श्रम शब्द का प्रयोग इसे रोकने हेतु किया जाता है।)

- **निर्वाचन समूह (Election group)**
  लोगों का एक समूह जो किसी विशेष चुनाव / नामांकन / नियुक्ति के समय राजनीति कार्यालयों में अपना महत्व रखता है। चुनाव को बनाने एवं उसकी महत्वता की स्थिति में शक्तिशाली दबाव बनाता है। चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में।

- **कन्वेन्शन्स (Conventions)**
  इसका तात्पर्य संसदीय सरकार से है, जो वैधता पूर्वक (विधिक रूप में) लिखित पत्रों में औपचारिक रूप में नहीं हो। ऐसी विधि का आधार संवैधानिक प्रावधानों के अनुपूरक रूप में बनाया जाता है।

- **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)**
  पारम्परिक अंकेक्षण से यह अधिक वृहद है। सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ एक स्वतंत्र मूल्यांकन से है, जो किसी संस्था की भूमिका व सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाली विधि को अंकेक्षित करता है।

- **प्रांतीय परिषद (Provencial Council)**
  राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत् बनायी गई इन परिषदों का उद्देश्य अन्तर्राज्यीय झगड़ों को रोकना तथा आपसी समझ का विकास करना है। ये राज्यों के आपसी भाईचारे को भी बढ़ाती हैं।

- **अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas)**
  राष्ट्रपति किसी निश्चित क्षेत्र को असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम आदि (इसमें से किसी राज्य के) राज्य में से इस प्रकार का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, जो कि पांचवी अनुसूची में वर्णित है।

- **एकल निर्देशकता (Single Direction)**
  कार्यपालिका आदेशों का एक समुच्चय है, जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह ब्ठप् को रोकता है कि कोई पूछताछ अथवा गहन छानबीन किसी अधिकारी, जो संयुक्त सचिव स्तर से ऊपर का हो केन्द्र सरकार की बिना पूर्वानुमति के ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

- **इंफ्रेरेड राइट्स (Infrared Rights)**
  वे अधिकार जिन्हें संविधान में विशेषकृत रूप से प्रावधान में वर्णन नहीं किया है, किन्तु विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में उदारीकृत रूप से तरजीह दी गई है। इन्हें ही इन्फ्रेरेड राइट्स के नाम से जाना जाता है।

- **प्रिज्मशन का नियम (Rule of Presumption)**
  इसका तात्पर्य है कि विधायिका सामान्य तौर पर यह देखे कि संवैधानिक वैधता किसी नियम/कानून में आ पायी है या नहीं। इसको किसी व्यक्ति द्वारा (कानून की वैधता/अवैधता के संबंध में) चुनौती दी जा सकेगी। न्यायालय इसे सरकार से सिद्ध करने को कह सकती है।

- **राजनीतिक न्याय (Political Justice)**
  राजनीतिक न्याय का अर्थ है, कि राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी आधार पर महिला व पुरूष के बीच अंतर नहीं किया जाएगा। अर्थात् अंतर किए बिना समानता का स्तर तय होगा।

- **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (Regional Representative)**
  क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वह है, जिनका प्रतिनिधित्व उस भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विधायिक में होता है। जिसका निर्धारण संसद ने किया हो। संपूर्ण भारत देश को भौगोलिक क्षेत्र में न जनसंख्या की समानता के क्रम में बांटा गया है, जिसे विधानसभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र) कहते हैं।

- **डेलीमिटेशन (Delimitation)**
  डेलीमिटेशन का अर्थ है, लोकसभा व विधानसभा की सीमाओं का पुनर्निधारण सदन (सभा) द्वारा पूर्व की जनगणना (जो प्रकाशित हो) के आधार पर व निर्वाचन वृद्धि के आधार पर निर्धारण करना ही डेलीमिटेशन कहलाता है।

- **प्यूनिटिव डिटेंशन (Punitive Detention)**
  प्यूनिटिव डिटेंशन का उद्देश्य किसी व्यक्ति को न्यायालय अवैध रूप से किए गए कार्य के लिए उसकी सजा काटने के बाद पुन: कार्यवाही नहीं कर सके।

- **एकल सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था (Single Member Constituency)**
  इस व्यवस्था के तहत् निर्वाचन परिणाम इस आधार पर सुनिश्चित होगा तथा वह परिणाम बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को विजेता घोषित करेगा भले ही उस प्रत्याशी ने एक मत से चुनाव जीता हो अर्थात् यदि बहुमत मतदाताओं में से एक ने भी ज्यादा किया हो। यह व्यवस्था (First-Past-the-Post) के नाम से भी वर्णित होती है।

- **राजगद्ददी त्याग (Sacrifice of Throne)**

जब कोई राजा अपनी राजगद्दी स्वयं इच्छा से त्याग देता है, तो इसे राजगद्दी त्याग या एब्डिकेशन कहते हैं।

- **उपचुनाव (By-Election)**

मृत्यु, त्याग-पत्र या अयोग्यता के कारण रिक्त हुए किसी स्थान के निमित होने वाले विशेष चुनाव को उप चुनाव कहते हैं।

- **धार्मिक राज्य (Theocratic State)**

यह एक ऐसा राज्य होता है, जिसमें एक विशेष धर्म के नियमों के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है। सऊदी अरब, वेटिकन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि धार्मिक राज्य की श्रेणी में आते हैं इन्हें धर्म सापेक्ष राज्य भी कहते हैं।

- **द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका**

जिस व्यवस्थापिका में दो सदन-उच्च सदन (Upper House) तथा निम्न या लोकप्रिय सदन (Lower or Popular House) हों, उसे द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं।

- **लाभ का पद (Post of Profit)**

कोई व्यक्ति केवल उस कारण कोई लाभ का पद करने वाला नहीं समझा जाएगा, कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

- **प्रतिभा पलायन (Brain Drain)**

किसी देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत सुविधाओं एवं अवसरों के कारण दूसरे देशों में जाने लगें तो ऐसी स्थिति को प्रतिभा-पलायन कहते हैं।

- **नौकरशाही (Bureaucracy)**

जो सरकार नागरिक सेवकों द्वारा चलाई जाती है या जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर हर बात के लिए निर्भर रहना पड़ता है, उस व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं, नौकरशाही की कार्य करने की प्रणाली विशिष्ट प्रकार की होती है, यह एक प्रकार से विकृति सूचक शब्द है जो नागरिक सेवकों (Civil Servants) के लिए प्रयुक्त होता है।

- **बुर्जुआ (Burgoise)**

व्यापारी लोगों को उद्योगपतियों को, जमींदारों को जो सामंतों के बाद आते थे और मध्यम वर्ग के कहलाते थे, बुर्जुआ कहते है। मजदूर वर्ग इससे सदैव घृणा करता रहा है, क्योंकि इन्होंने उनका घोषणा किया है साम्यवादी भी इनके शत्रु रहे हैं।

- **बोल्शेविज्म (Bolshevism)**

रूस की क्रान्तिकारी साम्यवादी विचारधारा जिसके प्रभाव से रूप में लेनिन के नेतृत्व में 1917 में क्रांति हुई थी, बोल्शेविज्म कहलाती है।

- **बाँस का पर्दा (Bamboo Curtail)**

चीन की साम्यवादी सरकार के नियन्त्राणों तथा प्रतिबन्धों को बाँस का पर्दा कहते हैं, इनके कारण वहाँ के नागरिक विदेशों में आ-जा नहीं सकते हैं, अपनी व देश की कोई बात बाहर नहीं कह सकते हैं।

- **ब्रेन वाशिंग (Brain Washing)**

जब कोई राज्य या समुदाय अपने सदस्यों में वही विचार भरता है, जो उसके हैं और सदस्यों के स्वतन्त्र विचारों को नष्ट कर दिया जाता है तब उसे ब्रेन वाशिंग कहते हैं।

- **बायकॉट (Bycott)**

किसी व्यक्ति, सभा, दल, सरकार का बहिष्कार करना 'बायकॉट' करना कहलाता है।

- **कर्फ्यू (Curphew)**

सरकारी आदेश जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी अवधि के दौरान बाहर सड़क पर घूम नहीं सकता व दुकान नहीं खोल सकता है, कर्फ्यू कहलाता है यह संविधान की धारा-144 हैं।

- **कूप (Coup)**

जब किसी विद्रोह, सैनिक कार्यवाही या गुट द्वारा गुप्त रूप से तथा गैर-कानूनी तरीके से किसी सरकार को उखाड़ फेंका जाता हे और एक नई सरकार की स्थापना की जाती है, तो उसे कूप कहते है कूप एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में हुआ। यदि किसी राज्य का सैनिक अधिकारी वैधानिक शासक को हटाकर शासन पर अधिकार कर लेते हैं, तो इसे सैनिक कूप (Mility Coup) कहते हैं।

- **कन्वेंशन (Convention)**

किसी विशिष्ट विषय पर वार्ता करने के लिए जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, इन्हें कन्वेन्शन कहते हैं। ब्रिटेन में शासन प्रणाली परम्पराओं पर आधारित है उन्हें संवैधानिक कन्वेन्शन (Constitutional Convention) कहते हैं इनका राजनीतिक महत्व है, किन्तु न्यायालय उन्हें मान्यता नहीं देते हैं।

- **कन्टेनमेन्ट**

राजनीति में किसी देश या विचारधारा के प्रभाव को फैलाने से रोकने को कान्टेनमेन्ट कहते है अमरीका द्वारा अनेक प्रयत्न इस दिशा में रूस तथा चीन के प्रभाव को रोकने के लिए किए गए हैं।

- **सहमति (Consent)**

किसी विषय पर आपसी विभाजन को दूर करने के लिए सदस्यों द्वारा सहमत होना या किसी समस्या के हल के लिए एकमत होना कनसेन्सस अथावा सहमति कहलाता है।

- **मुकाबला (Competition)**

किन्हीं दो व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी विषय पर आमने-सामने से मुकाबला करना अथवा दो सेनाओं द्वारा आमने-सामने से मुकाबला करनां मुकाबला कहलाता है।

- **साम्यवाद (Communism)**

कार्ल मार्क्स की विचारधारा जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार की समाप्ति, समुदायों का निजी शासन, सम्पत्ति पर समुदाय का अधिकार, वर्गरहित समाज का निर्माण, व्यक्ति की समानता, कार्य उसकी योग्यता

व क्षमता के अनुसार, धन या वस्तुओं का वितरण उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यदि बातें सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। अत: साम्यवाद वह व्यवस्था है, जिसमें वर्गरहित समाज की कल्पना की गई है। मार्क्स की विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवाद कहते है लेनिन ने उसे क्रांतिकारी रूप दिया क्रांतिकारी समाजवाद ही साम्यवाद कहलाता है।

- **राज्य (State)**
एक राजनैतिक इकाई जिसके एक निश्चित भू-भाग के ऊपर सम्प्रभु राज होता है और जो अपने अधिकार एवं दायित्वों का प्रयोग स्वनिर्मित निकायों द्वारा करता है।

- **सरकार (Government)**
सरकार का तात्पर्य ऐसे तरीके जिनके द्वारा कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। वस्तुत: सरकार का मुख्य कार्य है विधि निर्माण एवं उसका क्रियांवयन।

- **गणतंत्रवाद (Republic)**
यह सिद्धांत की किसी राष्ट्र की सर्वोच्च राजनैतिक सत्ता वहाँ की जनता की सहमति पर ही आधारित होती है। सिद्धांत राजतंत्र एवं वंशवाद के खिलाफ है।

- **प्रजातंत्र (Democracy)**
एक तरह का प्रजातंत्र, जो संवैधानिक सरकार पर आधारित हो एवं जहाँ व्यक्तिगत् एवं मानव अधिकारों को मान्यता प्राप्त हो।

- **वैस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित सरकार**
इस प्रकार की सरकार जहाँ कार्यपालिका का चयन संसद से होता है एवं अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था इसी मॉडल पर आधारित है।

- **जुनता**
सामान्यत: सैनिक अधिकारों का समूह जो क्रांति या तख्ता पलट के द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। उदाहरण-वर्तमान बर्मा देश की सरकार।

- **आर्थिक उदारवाद (Economic Liberalism)**
ऐसी विचारधारा जो प्रतिपादित करती है कि बाजार एक स्व:नियामक तंत्र है जो प्राकृतिक रूप से सभी को योग्यतानुसार अवसर एवं समृद्धि प्रदान करता है।

- **नव उदारवाद (Neo Liberalism)**
यह सिद्धांत जो राज्य के कार्यक्षेत्र के दायरे को संकुचित करता है एवं पूंजीकृत पर आधारित खुले बाजार की अवधारणा की वकालत करता है, जिसके द्वारा कार्यकुशलता बढ़ेगी एवं समाज में समृद्धि आयेगी।

- **प्रकृतिवाद (Naturalism)**
यह विचारधारा मनुष्य द्वारा अर्जित आर्थिक समृद्धि जो उसने प्रकृति को नुकसान कर पाई है के प्रति असंतोष व्यक्त करता है। ये कहते हैं कि अगर मनुष्य ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहा तो भविष्य में मानव जीवन ही संकट में पड़ जाएगा।

- **धार्मिक कट्टरवाद (Religeous Extremism)**
यह एक प्रकार की विचारधारा है जिसके तहत व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धांतों को सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ मानता है। उसमें व्याप्त कमियों को नजरअंदाज करते हुए।

- **विचारधारा का अंत (The End of Ideology)**
अमरिकन समाजशास्त्री डेनियल बैल के अनुसार जब समाज भौतिक एवं आर्थिक समृद्धि की उच्चतम सीमा प्राप्त करे लेगा तब नैतिकता एवं विचारधारा की कोई अहमियत नहीं रहेगी।

- **इतिहास का अंत (The End of History)**
अमरीकी राजनीति शास्त्रा के विद्वान प्रांसिस फुकूयामा द्वारा प्रतिपादित यह विचार सोवियत संघ के विघटन एवं वहाँ मार्क्सवाद के पतन तथा विश्व में प्रजातंत्र के विस्तार के संदर्भ में कहा था।

- **प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy)**
यह एक प्रकार का प्रजातंत्र है जहाँ जनता की सरकार के कार्य में सीधे तौर पर सहभागिता होती है। यह एक प्रकार की स्व:शासन पद्धति है।

- **प्रतिनिधिक लोकतंत्र (Representative Democracy)**
यह एक प्रकार से सीमित प्रजातंत्र है जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि के द्वारा सरकार संचालन करवाती है, यहाँ जनता का कार्य मात्रा अपने प्रतिनिधि को एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजना होता है। उदाहरण-भारत का प्रजातंत्र।

- **प्राकृतिक अधिकार (Natural Right)**
ईश्वर द्वारा जन्म से ही प्रदत्त कुछ मौलिक अधिकार जो मनुष्य के जीवन यापन एवं उत्थान के लिए आवश्यक हैं, एवं कोई सरकार इन्हें छीन नहीं सकती।

- **संसदीय प्रजातंत्र (Parliamentary Democracy)**
यह एक प्रकार का प्रजातांत्रिक शासन है जहाँ जनता द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि संसद के सदस्य बनते हैं। इस प्रकार के शासन में सरकार एवं जनता बीच सीधा संबंध नहीं होता।

- **संवैधानिक सरकार (Constitutional Government)**
एक प्रकार का शासन तंत्र जो विधि एवं कानून द्वारा निर्धारित परिधि में कार्य करता है। यहाँ सरकार के लिए कुछ नियम एवं सीमाएँ निर्धारित होती हैं तथा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

- **सामाजिक न्याय (Social Justice)**
नैतिकता के आधार पर जनता की भौतिक जरूरतों को पूरा करना, यह एक प्रकार से समाज में समानता लाने का प्रयास भी समझा जाता है।

- **सामाजिक-प्रजातांत्रिक राज्य (Socio Democratic State)**
सामाजिक-प्रजातांत्रिक राज्य के अवधारणा के संदर्भ में होता है कि राज्य जनता के उत्थान के लिए सीधे तौर पर हस्तक्षेप करती है और बाजारी अर्थव्यवस्था द्वारा समाज में आए विघटन को पाटने की कोशिश करती है। यहाँ सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सम्पन्नता के बजाए समाज में समान आर्थिक वितरण है।

- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism)**

  यह एक प्रकार का राष्ट्रवाद है जहाँ मुख्य जोर राष्ट्र को एक एकीकृत राजनैतिक इकाई मानने के बजाए उसकी सभ्यता अक्षुण्ण बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

- **संघवाद (Federlism)**

  संघवाद का संदर्भ ऐसी व्यवस्था को परिभाषित करता है जहाँ संवैधानिक तौर पर कार्यपालिका, विधायिका आदि की शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पर होता है। उदाहरण–राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर। यहाँ दोनों स्तर की सरकारों के कार्य क्षेत्र एक–दूसरे के अधीन नहीं होते।

- **लिखित संविधान (Written Constitution)**

  एक सर्वोच्च एवं समप्रभु दस्तावेज जो निर्धारित करता है सरकार के अधिकार, जिम्मेदारी, कार्य एवं कर्त्तव्य।

- **शक्ति विकेन्द्रीयकरण (Decentralization of Power)**

  केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान करना ताकि वे अपने स्तर पर संबधित क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सके।

- **अन्तर्राष्ट्रीयवाद (Internationalism)**

  यह अवधारणा अन्तरक्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग पर आधारित है। इसके तहत भौगोलिक स्तर की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है।

- **सामाजिक पूँजी (Social Capital)**

  सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की संपदा जो समाज में सौहार्द, राजनैतिक स्थिरता एवं समृद्धि बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

- **नियोजन (Planning)**

  उपलब्ध आर्थिक संपदा का सुनियोजित एवं पूर्ण दोहन करना ताकि राष्ट्रीय विकास के लिए निर्धारित उद्देश्यों को समय–सीमा के अंदर प्राप्त किया जा सके।

- **आनुपातिक चुनाव**

  यह चुनाव इस सिद्धांत पर आधारित है कि चुनाव में जिस राजनैतिक पार्टी को जितने प्रतिशत वोट प्राप्त होंगे, उसके उतने प्रतिशत प्रत्याशी विधानमंडल के लिए चुने जांऐगे।

- **साझा सरकार (Coalition Government)**

  कोएलेखन का अर्थ है जब विभिन्न विचारधाराओं की राजनैतिक पार्टियाँ एक साथ समूह बनाकर अपने उद्देश्य। उदाहरण—सरकार बनाने को लेकर प्रयास करें।

- **हित समूह (Interest Group)**

  समान विचारधारा रखने वाले लोगों का एक सुनियोजित समूह जिसका उद्देश्य बिना सरकार का हिस्सा बने, सरकार पर दबाव डाल कर उसकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अपने समूह के फायदे के अनुसार बदलाव ला सकें। इन समूहों के गठन का उद्देश्य किसी एक खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है।

- **संसदीय समप्रभुता (Parliamentary Sovereighty)**

  इसका तात्पर्य है संसद या विधान मंडल के नए कानून बनाने या संविधान में बदल संशोधन करने के असीमित अधिकार होना।

- **नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberty)**

  इस शब्द का तात्पर्य है कि एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा जिसका राज्य उलंघन नहीं कर सकता। इन्हें मानव अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है एवं राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

- **नागरिकता (Citizenship)**

  नागरिकता शब्द संबंध दर्शाता है एक व्यक्ति एवं राष्ट्र के मध्य, जहाँ दोनों एक दूसरे के प्रति अधिकारों एवं दायित्वों से बंधे हैं।

- **प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office)**

  एक गैर संवैधानिक निकाय जिसे भारत सरकार बिजनेस रूल 1961 के तहत एक अलग विभाग का दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को उनके कार्यपालिका जिम्मेदारियाँ निभाने में सहायता प्रदान करना।

- **कैबीनेट सचिवालय (Cabinet Secretariate)**

  कैबीनेट सचिवालय का मुख्य कार्य है कैबिनेट की कार्यपालिका कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना एवं कैबिनेट की विभिन्न समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना। इसलिए इसे भारत सरकार की मुख्य समन्वय ऐजेंसी कहा जाता है।

- **केन्द्रीय सचिवालय (Central Secretriate)**

  ये केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों का समूह है, जिसके जरिये केन्द्र सरकार अपनी नीति एंव कार्यक्रमों का क्रियांवयन करती है। ये केन्द्र सरकार की मुख्य क्रियांवयन ऐजेंसी जिसके द्वारा केन्द्रीय सूची से संबंधित कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया जाता है।

- **मुख्य सचिव (Chief Secretary)**

  यह राज्य सरकार की प्रशासनिक इकाई का मुखिया होता है एवं प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी मुखिया होने के नाते वह प्रदेश के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करवाने में अहम योगदान देता है।

- **अधिसूचित क्षेत्र समिती (Natified Area Committe NAC)**

  वह क्षेत्र जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने की वजह से तीव्र गति से विकास हो रहा हो, परंतु अभी भी इस क्षेत्र ने नगर–पालिका स्थापित करने के मानदंडों पर खरा न उतरता हो। ऐसे हालात में उस क्षेत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार उसे शासकीय गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा 'नोटिफाइड एरिया' घोषित कर देती है।

- **नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee 'TAC')**

  छोटे नगर क्षेत्रों के लिए इस तरह के अर्ध नगर निकाय प्राधिकरणों का गठन किया जाता है। इसका गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम

द्वारा किया जाता है एवं उसी अधिनियम में उसक कार्यक्षेत्र और गठन का प्रावधान होता है।

- **छावनी परिषद् (Cantonment Council)**
  ये एकमात्रा नगरीय प्रशासकीय इकाइयाँ है जिनका प्रशासन रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। ये वे नगरीय क्षेत्र हैं जो सैनिक छावनी के इर्द-गिर्द विकसित हो जाते हैं एवं सैनिक और उनके परिवारों के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होते हैं।

- **ग्रास सभा (Gram Sabha)**
  इसका गठन ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को लेकर होता है, एवं वे ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिल अपने गाँव के विकास कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें अब संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया है।

- **जनजातीय सलाहकार समिति (Tribal Advisory Council 'TAC')**
  संविधान की अनुसूची 5 के तहत जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ इस समिति का गठन आवश्यक है। इस समिति का कार्य है राज्यपाल द्वारा निर्देशित अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रमों एवं उनमें सुधार पर अपनी विशेषज्ञ राय देना।

- **अनुसूचित क्षेत्र (Schedule Area)**
  संविधान के तहत ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र माना जाएगा जिन्हें राष्ट्रपति आज्ञा द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होने का दर्जा प्रदान करे।

- **पंचायती राज निकाय (Panchayati Raj Body)**
  इनका गठन शासकीय स्थानीय स्वशासित इकाइयों को मिलाकर होता है, उदाहरण—ग्राम पंचायत - ग्रामीण स्तर, पंचायत समिति - मध्य स्तर, जिला परिषद्-जिला स्तर।